रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 389] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 14, 2011/आषाढ़ 23, 1933
No. 389] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 14, 2011/ASADHA 23, 1933

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2011

सा.का.नि. 534(अ).—केन्द्र सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 641 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-XIII में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है:

1. सा.का.नि. 396(अ), दिनांक 23 मई, 2011 में पैरा 1 (i) में ''चौथा परंतुक'' शब्दों को ''तीसरा परंतुक'' पढ़ा जाए।

2. अनुसूची-XIII के भाग II के खंड II में —

उप-पैरा (ग) में चौथा परंतुक को निम्नलिखित परंतुक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

''बशर्ते किसी सूचीबद्ध कम्पनी की अनुषंगी कंपनी के लिए केन्द्र सरकार का अनुमोदन अपेक्षित नहीं है, यदि—

i. होल्डिंग कम्पनी की पारिश्रमिक समिति एवं निदेशक मंडल ने आवेदक की उक्त पारिश्रमिक राशि के लिए अपना अनुमोदन दे दिया है एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 198 के उदद्श्यों हेतु उक्त राशि को होल्डिंग कम्पनी द्वारा पारिश्रमिक मान लिया गया है एवं;

ii. आवेदक के पारिश्रमिक की अदायगी हेतु कम्पनी की आम सभा ने एक विशेष संकल्प पारित किया हो एवं;

iii. आवेदक का पारिश्रमिक होल्डिंग कम्पनी द्वारा अदा किया गया पारिश्रमिक माना गया हो एवं;

iv. अनुषंगी कम्पनी के सभी सदस्य कॉरपोरेट निकाय हों।

''बशर्ते सूचीबद्ध कम्पनी या सूचीबद्ध कम्पनी की अनुषंगी द्वारा अपने प्रबंधकीय कर्मियों को पारिश्रमिक की अदायगी हेतु केन्द्र सरकार का अनुमोदन अपेक्षित न हो, यदि पारिश्रमिक औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण द्वारा नियत है।''

3. अनुसूची XIII के भाग II के खंड II में—

उप-पैरा (ग), चौथा परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: :—

''बशर्ते केन्द्र सरकार का कोई अनुमोदन अपेक्षित न हो यदि प्रबंधकीय व्यक्ति का उस कम्पनी या उसके होल्डिंग कम्पनी की पूजी में प्रत्यक्ष या परोक्ष या किसी अन्य सांविधिक संस्था के माध्यम से कोई हित न हो एवं नियुक्ति की तिथि को या उससे पूर्व पिछले दो वर्षों के दौरान किसी भी समय उस कंपनी या उसकी होल्डिंग कम्पनी के निदेशकों या प्रवर्तकों के संबंध में कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष हित न हो एवं वह अपने व्यवसाय के क्षेत्र में विशेषज्ञ ज्ञान के साथ स्नातक स्तर की योग्यता धारण करता हो।''

4. कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-XIII के भाग II के खंड II के स्पष्टीकरण VI के पश्चात निम्नलिखित समाविष्ट किया जाएगा;

''स्पष्टीकरण VII : इस भाग के खंड II के उद्देश्य के लिए ''सांविधिक संरचना'' का अर्थ ऐसे निकाय से है जो किसी सांविधि के तहत गठित किसी भी कम्पनी का शेयर रखने का हकदार है।''

5. यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगा।

[फा. सं. 14/3/2011-सीएल-VII]

जे. एन. टिक्कू, संयुक्त निदेशक

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 559(अ), दिनांक 10-6-1998 के माध्यम कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1988 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी एवं उसमें निम्नलिखित के माध्यम से पश्चातवर्ती संशोधन किए गए थे ।

(i) सा.का.नि. 784(अ), दिनांक 13-7-1998

(ii) सा.का.नि. 723(अ), दिनांक 18-9-1990

(iii) सा.का.नि. 510(अ), दिनांक 14-7-1993

(iv) सा.का.नि. 48(अ), दिनांक 1-2-1994

(v) सा.का.नि. 418(अ), दिनांक 12-9-1996

(vi) सा.का.नि. 215(अ), दिनांक 2-3-2000

(vii) सा.का.नि. 36(अ), दिनांक 16-1-2002

(viii) सा.का.नि. 70(अ), दिनांक 8-2-2011

(ix) सा.का.नि. 396(अ), दिनांक, 23-5-2011

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2011

G.S.R. 534(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 641 of the Companies Act, 1956, the Central Government hereby makes the following further amendments in Schedule XIII of the Companies Act, 1956:—

1. In G.S.R. 396(E), dated 23rd May, 2011 in Para 1(i) the words "fourth proviso" may be read as "third proviso".

2. In Schedule XIII, in Part II, in Section II—

in sub-para (C), the fourth proviso shall be substituted by the proviso as under :—

"Provided further that approval of Central Government is not required for a subsidiary of a listed company, if—

i. the Remuneration Committee and Board of Directors of the holding company give their consent for the amount of such remuneration of the applicant and for the said amount to be deemed remuneration by the holding company for the purpose of Section 198 of the Companies Act, 1956 and;

ii. a special resolution has been passed at the general meeting of the company for payment of remuneration of the applicant and;

iii. the remuneration of the applicant is deemed to be remuneration paid by holding company and;

iv. all members of the subsidiary are bodies corporate:

Provided that a listed company or a subsidiary of a listed company shall not require Central Government approval for the payment of remuneration to its managerial personnel, if the remuneration is fixed by Board of Industrial and Financial Reconstruction."

3. In Schedule XIII, in Part II, in Section II—

in sub-para (C), after fourth proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that no approval of Central Government is required if the managerial person is not having any interest in the capital of the company or its holding company, directly or indirectly or through any other statutory structures and not having any direct or indirect interest or related to the directors or promoters of the company or its holding company at any time during last two years before or on the date of appointment and is having a graduate level qualification with expert and specialized knowledge in the field of his profession."

4. After Explanation VI, to the Section II in Part II of Schedule XIII of the Companies Act, 1956 following shall be inserted :—

"Explanation VII : For the purpose of Section II of this part, "Statutory Structure" means any entity which is entitled to hold shares in any company formed under any statute."

5. It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette

[F. No. 14/3/2011-CL. VII]

J. N. TIKKU, Jt. Director

Note : The Principal Schedule was inserted by the Companies (Amendment) Act, 1988 *vide* No. G.S.R. 559(E), dated 10-6-1998 and subsequently amended *vide* :—

(i) GSR 784(E), dated 13-7-1998

(ii) GSR 723(E), dated 18-9-1990

(iii) GSR 510(E), dated 14-7-1993

(iv) GSR 48(E), dated 1-2-1994

(v) GSR 418(E), dated 12-9-1996

(vi) GSR 215(E), dated 2-3-2000

(vii) GSR 36(E), dated 16-1-2002

(viii) GSR 70(E), dated 8-2-2011

(ix) GSR 396(E), dated 23-5-2011

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.